तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/305 केसाराम बनाम मेनपाल सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/4/25	पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की तलबी अदालती नोटिस से की जाकर दिनांक 21/5/25 को पेश हो। (दीप्ति कछवाहा) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	
16/4/25	पत्रावली वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शेरावत एड. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर सुनवाई किये जाने, आवेदन पत्र कायम मुकाम अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. मय वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामें के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पेश किया गया। शा.फा. हो। वकील अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर सुनवाई किये जाने, आवेदन पत्र कायम मुकाम अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी. सी. मय वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामें के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने पर आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलांट केशाराम पुत्र गोरूराम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील अपीलान्ट संशोधित उनवान पेश करें। पेश किया। शा.फा. हो। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामें के आधार पर अपीलान्ट खारिज किये जाने के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान मान्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी दिनांक 21.05.2025 नियत है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी समझाइश से राजीनामा हो चुका है जिस कारण प्रकरण की पत्रावली आज ही तलब की जाकर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। उपरोक्त उनवानी मान्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है तथा राजीनामे के अनुसार अपीलान्ट अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है, तथा खारिज करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा पेश हो जाने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमा दी जावे। हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण स्वंय ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थीगण के पहचान पत्र को तस्दीक किया गया। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखित दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दीप्ति कछवाहा) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	गंगाराम सुरजमल नि. रुक्मणी नि. सन्तोष Identified by Adv. अपीलान्ट्स